कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2019/2166 दिनांक : 5-4-2019

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां।

विषय :–कन्स्ट्रक्शन ऑफ बी.टी. रोड़ फ्रोम मामली लक्ष्मीपुरा टु पटपड़ी
(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7127/2014)

प्रसंग :–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14( )2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/2413 दिनांक 10.05.2018 एवं इस कार्यालय पत्र संख्या एफ(वन संरक्षण)समुवसं/2018/4341 दिनांक 30.05.2018

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ के क्रमांक 8 बी/राज/06/24/2015/925 दिनांक 19.03.2018 से आलौच्च्य प्रकरण में पत्र दिनांक 01.04.2015 द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं भिजवाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम 2003 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों/दिशा निर्देषों के पैरा 4.14 के तहत प्रकरण को निरस्त कर दिया है।

प्रकरण में दिनांक 26.02.2018 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर द्वारा ईडीएस जारी की गयी थी जिसका जवाब (reply) अभी तक भी अप्रेक्षित है। इसी क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर ने दिनांक 29.03.2019 को पुनः ऑनलाईन ईडीएस जारी कर हार्ड कॉपी भिजवाने हेतु लिखा है।

अतः आप दिनांक 28.02.2018 को जारी ईडीएस का जवाब, एफसीए एक्ट 1980 के सेक्शन 2 का उल्लघंन के अन्तर्गत धारा 3 ए व 3 बी के तहत घटित वन अपराध के समय कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे एवं उस समय विभागाध्यक्ष कौन थे के नाम, वर्तमान पदस्थापन स्थल की जानकारी कार्य से संबंधित वर्क ऑर्डर कॉपी व कान्ट्रेक्ट डोक्यूमेन्ट की विस्तृत रिपोर्ट एवं प्रकरण को पुनः रि–ऑपन कराने हेतु प्रयोक्ता विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर तत्काल प्रेषित करें ताकि भारत सरकार को प्रकरण पुनर्विचार हेतु भिजवाया जा सके।

(दया सिंह दुल्लर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा